

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया

मुकेश कुमार यादव बनाम् मसोमात शांति देवी वगै०

विविध वाद संख्या -19/2024

U/S - 144 Cr.P.C.

आदेश की
क्र०सं० और
तिथि

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्यवाई के
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित

प्रथम पक्ष:-

मुकेश कुमार यादव, पिता किशुन प्रसाद यादव, साकिन-
बगोदरडीह, थाना-बगोदर, जिला- गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्ष:-

1. मसोमात शांति देवी, पति- स्व बुधन यादव 2. खिरो यादव,
पिता- स्व० बुधन यादव, साकिन- बगोदरडीह, थाना-बगोदर,
जिला-गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं अंचल
अधिकारी, बगोदर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात प्रारंभ
किया गया। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों के सदस्यों को
विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने-अपने दावे के समर्थन
में कारण-पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

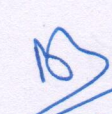
मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहद्दी
बगोदर	255	1493	10.83 डी०	उ०- जुजौ प्लॉट, द०- इन्द्रमणि यादव, पु०- नागेश्वर यादव वगै०, प०- नहर।

इस न्यायालय के नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष
उपस्थित होकर बताये कि उपरोक्त वाद ग्रस्त भूमि में आपसी समझौता
हो गया है इस कारण से अब इस वाद की कार्यवाई समाप्त की जाय।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में इस वाद के अंतर्गत निर्गत निषेधाज्ञा को
वापस लिया जाता है साथ ही साथ इस वाद में दाखिल समझौता पत्र
ही आदेश का अंश होगा।

लेखापित एवं संशोधित।


30-03-2024
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।


30-03-2024
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।